	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 19, बुधवार, शाके 1944-अगस्त 10, 2022 *Sravana 19, Wednesday , Saka 1944- August 10, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग(क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 10, 2022

संख्या प0 2(18)वन/2022 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश को स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकी सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार पर वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट, संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर, असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Provision) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया

जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खण्ड़ित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

3. परिशिष्ट-क

राज्यपाल की आज्ञा से,
वेंकटेश शर्मा,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसुची

क्र.सं.	नाम वनखण्ड	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण				विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6				7
1	आदिबद्री पर्वत-बी	सीकरी	भरतपुर	उत्तर-सीमाग्राम खोहरा	राजस्वग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल है0 में	भूमि किस्म	
				दक्षिण-सीमाग्राम गढी	1.ककराला	1179	4.33	गै0मु0 पहाड	कच्चा रास्ता
				पूर्व-सीमाग्राम खेडा, घोघोर		1180	6.17	गै0मु0 पहाड	
						1181	3.32	गै0मु0 पहाड	
				पश्चिम-सीमाग्रामडाबक, चक रसूलपुर		1183	0.62	गै0मु0 पहाड	
						1184	1.6	गै0मु0 पहाड	
						1185	1.14	गै0मु0 पहाड	
						1186	0.79	गै0मु0 पहाड	
						1187	0.61	गै0मु0 पहाड	
						1190	0.68	गै0मु0 पहाड	
						1191	0.84	गै0मु0 पहाड	
						1192	1.71	गै0मु0 पहाड	
						1193	0.86	गै0मु0 पहाड	
						1194	0.62	गै0मु0 पहाड	
						1196	0.64	गै0मु0 पहाड	
						1197	0.96	गै0मु0 पहाड	
						1198	1.05	गै0मु0 पहाड	
						1199	1.96	गै0मु0 पहाड	
						1200	12.62	गै0मु0 पहाड	आंशिक कृषि
						1201	8.93	गै0मु0 पहाड	
						1202	4.19	गै0मु0 पहाड	
						1203	9.33	गै0मु0 पहाड	

						1204	10.87	गै0मु0 पहाड	
						1206	7.4	गै0मु0 पहाड	
						1210	1.93	गै0मु0 पहाड	आंशिक कृषि
						1211	6.62	गै0मु0 पहाड	खेती
						1248	8.15	गै0मु0 पहाड	खनन एवं खेती
						1249	7.77	गै0मु0 पहाड	खनन एवं खेती
						1250	9.13	गै0मु0 पहाड	आंशिक खनन एवं कच्चे रास्ते
						1251	9.95	गै0मु0 पहाड	आंशिक खनन
						1252	8.82	गै0मु0 पहाड	
						1253	9.4	गै0मु0 पहाड	
						1254	12.16	गै0मु0 पहाड	
						1255	5.52	गै0मु0 पहाड	
						1416/1205	2.84	गै0मु0 पहाड	
						1419/1205	12.91	गै0मु0 पहाड	
						1420/1182	1.35	गै0मु0 पहाड	
						1422/1182	3.07	गै0मु0 पहाड	
						1424/1207	7.35	गै0मु0 पहाड	
						1426/1208	9.87	गै0मु0 पहाड	
						1428/1209	7.46	गै0मु0 पहाड	
					योग	किता- *40*	205.54		
					2 रुपवास	140	14.88	गै0मु0 पहाड	आंशिक खनन एवं कृषि
						141	10.90	गै0मु0 पहाड	आंशिक खनन
						142	17.16	गै0मु0 पहाड	
					योग	किता-3	42.94		
					3 कोलरी	1	11.30	गै0मु0 पहाड	आंशिक भाग मे

									कृषि हो रही है
						3	2.22	गै0मु0 पहाड	
						5	13.55	गै0मु0 पहाड	
						7	19.20	गै0मु0 पहाड	
						8	16.60	गै0मु0 पहाड	
						9	14.96	गै0मु0 पहाड	
						10	5.55	गै0मु0 पहाड	आंशिक भाग मे अतिक्रमण है
						11	18.71	गै0मु0 पहाड	आंशिक भाग मे खनन है
						15	22.80	गै0मु0 पहाड	आंशिक भाग मे खनन है
						16	10.94	गै0मु0 पहाड	
						17	3.63	गै0मु0 पहाड	
						18	7.82	गै0मु0 पहाड	
						19	22.87	गै0मु0 पहाड	
						20	6.23	गै0मु0 पहाड	
						21	11.26	गै0मु0 पहाड	आंशिक खनन एवं कच्चा रास्ता
						96	10.73	गै0मु0 पहाड	आंशिक आबादी, खनन एवं कच्चा रास्ता
						97	5.10	गै0मु0 पहाड	आंशिक खनन, खेती एवं कच्चा रास्ता
						102	3.05	गै0मु0 पहाड	
						108	6.67	गै0मु0 पहाड	आंशिक भाग मे कृषि हो रही है
						288	23.87	गै0मु0 पहाड	आंशिक खनन एवं कच्चे

									रास्ते
					योग	किता- 20	237.06		
					4 नांगल	285	4.09	गै0मु0 पहाड	कृषि आंशिक अतिक्रमण, मौके पर बनी मस्ज़िद है
						292	2.78	गै0मु0 पहाड	आंशिक भाग मे कृषि हो रही है
						293	9.88	गै0मु0 पहाड	आंशिक खनन एवं कच्चे रास्ते है
					योग	किता- 3	16.75		
					5 रसूलपुर	333	7.20	गै0मु0 पहाड	खनन एवं कच्चा रास्ता, उक्त भूमि के चारो ओर गैर वन भूमि है
					योग	किता- 1	7.20		
					6 बेगपहाडी	205	7.61	गै0मु0 पहाड	कृषि एवं अतिक्रमण
						231/204	5.48	गै0मु0 पहाड	खनन
						233/204	16.90	गै0मु0 पहाड	आंशिक खनन एवं कच्चा रास्ता
					योग	किता-3	29.99		
					7 भुआपुरगढी	479	12.70	गै0मु0 पहाड	कच्चा रास्ता एवं आंशिक खनन
						480	6.06	गै0मु0 पहाड	आंशिक कृषि
						656/624	38.01	गै0मु0 पहाड	खनन, खनन हेतु

									स्ट्रक्चर, विद्युत लाईट सैटअप, पैट्रोल पम्प
						657/624	66	गै0मु0 पहाड	खनन एवं क्रेशर एवं कच्चा रास्ता
					योग	किता-4	122.77		
					वनखण्ड का योग	कुल किता-74	662.25		

रवि कुमार मीणा,

उप वन संरक्षक,

भरतपुर।

द्वितीय अनुसूची
पेडो की सूची
वनखण्ड-आदिबद्रीपर्वत-बी

क्र.सं.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Holoptelia integrifolia	चुरैल
2	Acacia lencophloea	रोंझ
3	Zizyphusmauritiana	बैर
4	Acacia tortilis	इज़राइली बबूल
5	Acacia nilotica	देशी बबूल
6	Angoeissus pendula	धोंक
7	Azadirachta indica	नीम
8	Dalbergia sissoo	शीशम
9	Acacia Senegal	कुमठा
10	Bauhinia variegate Linn.	कचनार
11	Malaniesroxburgli, Roxb. (egyptica)	हींगोट
12	Ficus cunia, ham.	पाखर
13	Adatodavasika	अडुसा
14	Salvadoraperseca	जाल
15	Albizzia procora, Benth	सफेदसिरस

रवि कुमार मीणा,
उप वन संरक्षक,
भरतपुर।

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक,द्वारा प्रमाण-पत्र
(मौके की वर्तमान स्थिति अनुसार)

वन खण्ड -आदिबद्री पर्वत-बी

रेंज -सीकरी

वनमण्डल-भरतपुर

1. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों मे वन विभाग के नाम दर्ज है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के नाम अमलदरामद है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्र जिन पर वानिकी विकास कार्य भविष्य में किये जाने की संभावना है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.3 तक का है। इस क्षेत्रों में प्रमुख चुरैल, रौंझ, इजरायली बबूल, धौंक, देशी बबूल इत्यादि प्रजातिया के पेड एवं झाडियां है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र राजस्व बंजर/चारागाह/खातेदारी/वनभूमि है, तथा चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कालम सं. 5 मे कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति मे दिखाई गइ दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र क्रमांक प.6(355)राज-3/2021 दिनांक 21.07.2022 की अनुपालना में जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश क्रमांकः राजस्व/12/2/(148)2021/134 दिनांक 21.07.2022 द्वारा बृज क्षेत्र में स्थित तहसील सीकरी के अधीन धार्मिक महत्व की पहाड़ियों में सघन वृक्षारोपण एवं खनन गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए राजकीय भूमि के डायवर्जन स्वरूप विभाग को इस शर्त के साथ हस्तान्तरित की गई है कि वन भूमि पर स्वीकृत/विचाराधीन एवं भविष्य में होने वाले डायवर्जन प्रस्तावों के लिए है। उल्लेखित वनक्षेत्र को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट मे प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसमें कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सके।
8. उक्त वनभूमि पर खनन, हेतु स्थापित स्ट्रक्चर एवं अतिक्रमण आदि की खसरावार विवरण प्रथम अनुसूची के साथ विशेष विवरण में अंकित है। उक्त वनभूमि सर्वे सीमांकन एवं अतिक्रमण चिन्हीकरण कर अतिशीघ्र भविष्य मे विमुक्त करवाने का आश्वासन श्रीमान् जिला कलेक्टर, भरतपुर ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/12/2(148)2021/4982 दिनांक 02.08.2022 प्रदान किया गया है (प्रति संलग्न)।
9. प्रत्येक खसरे के सामने की वास्तविक स्थितिः-मौके की घोषित की जा रही वनभूमि के अन्दर मौके पर वैध एवं अवैध खनन, अतिक्रमण/आबादी,खेती एवं अन्य है जोकि प्रथम अनुसूची के अंतिम कालम में अंकित कर दी गयी है।
10. यह भी उल्लिखित किया जाता है कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा वैध खनन की लीजो को समाप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
11. खान एवं भू-विज्ञान विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि सभी प्रकार के वैध एवं अवैध खनन को समाप्त कराकर भौतिक हस्तान्तरण वन विभाग को कराया जावें। यह भी

उल्लिखित किया जाता है कि वैध एवं अवैध खनन के सम्बन्ध मे भविष्य मे संभाव्य या होने वाले न्यायालिय प्रकरणों मे खनन विभाग समस्त प्रकरणों मे कार्यवाही हेतु पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा।

12. अन्य समस्त प्रकार के अतिक्रमणों को उक्त घोषित की जा रही वन भूमि मे से हटाए जाने हेतु जिला कलेक्टर भरतपुर/जिला प्रशासन भरतपुर/जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर उत्तरदायी एवं प्रतिबद्व होगें/रहेंगें। इस सम्बन्ध मे होने वाले समस्त संभाव्य एवं न्यायालीय प्रकरणों मे राजस्व विभाग कार्यवाही हेतु पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/रहेगा।

13. चुंकि उक्त घोषित की जा रही वनभूमि को जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश क्रंमाक राजस्व /12/2(148) 2021/134 दिनांक 21.07.2022 से वन विभाग के नाम समस्त वैध एवं अवैध गतिविधियों को हटाए बिना ही जिला कलेक्टर द्वारा भूमि को पूर्ण रूप से अमलदरामद कर दिया गया है, तथा उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो के अनुरूप भविष्य मे गैर वानिकी कार्यो के विरूद्व दी जाने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देना अंकित किया गया है, तथापि उक्तानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु इस भूमि का उपयोग करने से पूर्व टिप्पणी संख्या 11, 12 एवं 13 की कार्यवाही उत्तरदायी विभागो/प्राधिकारियों/अधिकारियों द्वारा सम्पन्न कराया जाना आवश्यक होगा।

14. चूंकि उक्तानुसार घोषित की जा रही वनभूमि मे से अत्यन्त छोटी माप की भूमि (खसरा संख्या 1210,1211) भी शामिल है और आगे भी उक्त क्षेत्र मे गंभीर जैविक दबाव रहेगा। अतः राज्य सरकार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र के वन पुर्नस्थापन तथा चारों ओर पक्की दीवार से सुरक्षा हेतु आवश्यक धन राशि वन विभाग को उपलब्ध कराए।

रवि कुमार मीणा,
उप वन संरक्षक,
भरतपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 19, बुधवार, शाके 1944-अगस्त 10, 2022 *Sravana 19, Wednesday , Saka 1944- August 10, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग(क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 10, 2022

संख्या प0 2(18)वन/2022 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश को स्वत्वधारी (ENTITLED) है।

और चूंकी सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार पर वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट, संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर, असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्राविहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Provision) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या

हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खण्ड़ित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

3. परिशिष्ट-क

राज्यपाल की आज्ञा से,
वेंकटेश शर्मा,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम वनखण्ड	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण				विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6				7
1	कनकांचल पर्वत-ए	पहाडी	भरतपुर	उत्तर-मूंगसका के कतिपय अन्य खसरान दक्षिण पश्चिम सीमा ग्राम जोधपुर पूर्व-सीमा ग्राम दांतका दक्षिण-पूर्व सीमा ग्राम बोलखेडा पश्चिम-अन्य खसरान	राजस्वग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल है0 में	भूमि किस्म	
					1 मूंगस्का	858	2.01	गै0मु0खार	
						859	2.27	गै.मु.पहाड	आंशिक अतिक्रमण
						860	1.95	गै.मु.पहाड	आंशिक कृषि
						861	2.27	गै.मु.पहाड	आंशिक कृषि एवं खनन
						862	1.47	बंजड	आंशिक खनन
						863	6.95	गै.मु.पहाड	
						864	5.49	गै.मु.पहाड	
						865	7.49	गै.मु.पहाड	
						866	8.46	गै.मु.पहाड	खनन
						868	5.16	गै.मु.पहाड	खनन
						869	2.02	गै.मु.पहाड	खनन
						870	3.84	गै.मु.पहाड	आंशिक खनन
						871	1.63	गै.मु.पहाड	
					योग	किता-13	51.01		
					2.	173	5.82	गै.मु.पहाड	आंशिक

					समसलका				खनन कृषि
						247	2.37	गै.मु.पहाड	आंशिक खनन
						248	1.48	गै.मु.पहाड	
						285/250	4.73	गै.मु.पहाड	आंशिक अतिक्रमण
						255	4.91	गै.मु.पहाड	खनन
						256	3.43	गै.मु.पहाड	आंशिक खनन
						251	5.69	गै.मु.पहाड	खनन
						252	8.39	गै.मु.पहाड	खनन
						253	6.62	गै.मु.पहाड	
						254	0.70	गै.मु.पहाड	
					योग	किता-10	44.14		
					वनखण्ड का योग	कुल किता-23	95.15		

रवि कुमार मीणा,
उप वन संरक्षक,
भरतपुर।

द्वितीय अनुसूची
पेडो की सूची
वनखण्ड-आदिबद्रीपर्वत-बी

क्र.सं.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Holoptelia integrifolia	चुरैल
2	Acacia lencophloea	रोंझ
3	Zizyphusmauritiana	बैर
4	Acacia tortilis	इज़राइली बबूल
5	Acacia nilotica	देशी बबूल
6	Angoeissus pendula	धोंक
7	Azadirachta indica	नीम
8	Dalbergia sissoo	शीशम
9	Acacia Senegal	कुमठा
10	Bauhinia variegate Linn.	कचनार
11	Malaniesroxburgli, Roxb. (egyptica)	हींगोट

12	Ficus cunia, ham.	पाखर
13	Adatodavasika	अडुसा
14	Salvadoraperseca	जाल
15	Albizzia procora, Benth	सफेदसिरस

रवि कुमार मीणा,
उप वन संरक्षक,
भरतपुर।

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक,द्वारा प्रमाण-पत्र
(मौके की वर्तमान स्थिति अनुसार)

वन खण्ड -कनकांचल पर्वत-ए
रेंज - कामां
वनमण्डल- भरतपुर

1. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों मे वन विभाग के नाम दर्ज है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के नाम अमलदरामद है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्र जिन पर वानिकी विकास कार्य भविष्य में किये जाने की संभावना है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.3 तक का है। इस क्षेत्रों में प्रमुख चुरैल, रौंझ, इजरायली बबूल, धौंक, देशी बबूल इत्यादि प्रजातिया के पेड एवं झाडियां है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र राजस्व बंजर/चारागाह/खातेदारी/वनभूमि है, तथा चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम सं. 5 मे कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति मे दिखाई गइ दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र क्रमांक प.6(355)राज-3/2021 दिनांक 21.07.2022 की अनुपालना में जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश क्रमांकः राजस्व/12/2/(148)2021/134 दिनांक 21.07.2022 द्वारा बृज क्षेत्र में स्थित तहसील सीकरी के अधीन धार्मिक महत्व की पहाड़ियों में सघन वृक्षारोपण एवं खनन गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए राजकीय भूमि के डायवर्जन स्वरूप विभाग को इस शर्त के साथ हस्तान्तरित की गई है कि वन भूमि पर स्वीकृत/विचाराधीन एवं भविष्य में होने वाले डायवर्जन प्रस्तावों के लिए है। उल्लेखित वनक्षेत्र को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट मे प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसमें कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वनभूमि पर खनन, हेतु स्थापित स्ट्रक्चर एवं अतिक्रमण आदि की खसरावार विवरण प्रथम अनुसूची के साथ विशेष विवरण में अंकित है। उक्त वनभूमि सर्वे सीमांकन एवं अतिक्रमण चिन्हीकरण कर अतिशीघ्र भविष्य मे विमुक्त करवाने का आश्वासन श्रीमान् जिला

कलेक्टर, भरतपुर ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/12/2(148)2021/4982 दिनांक 02.08.2022 प्रदान किया गया है (प्रति संलग्न)।

9. प्रत्येक खसरे के सामने की वास्तविक स्थितिः-मौके की घोषित की जा रही वनभूमि के अन्दर मौके पर वैध एवं अवैध खनन, अतिक्रमण/आबादी,खेती एवं अन्य है जोकि प्रथम अनुसूची के अंतिम का ॅलम में अंकित कर दी गयी है।

10. यह भी उल्लिखित किया जाता है कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा वैध खनन की लीजो को समाप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

11. खान एवं भू-विज्ञान विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि सभी प्रकार के वैध एवं अवैध खनन को समाप्त कराकर भौतिक हस्तान्तरण वन विभाग को कराया जावें। यह भी उल्लिखित किया जाता है कि वैध एवं अवैध खनन के सम्बन्ध मे भविष्य मे संभाव्य या होने वाले न्यायालिय प्रकरणों मे खनन विभाग समस्त प्रकरणों मे कार्यवाही हेतु पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा।

12. अन्य समस्त प्रकार के अतिक्रमणों को उक्त घोषित की जा रही वन भूमि मे से हटाए जाने हेतु जिला कलेक्टर भरतपुर/जिला प्रशासन भरतपुर/जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर उत्तरदायी एवं प्रतिबद्व होगें/रहेंगें। इस सम्बन्ध मे होने वाले समस्त संभाव्य एवं न्यायालीय प्रकरणों मे राजस्व विभाग कार्यवाही हेतु पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/रहेगा।

13. चुंकि उक्त घोषित की जा रही वनभूमि को जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश क्रंमाक राजस्व /12/2(148) 2021/134 दिनांक 21.07.2022 से वन विभाग के नाम समस्त वैध एवं अवैध गतिविधियों को हटाए बिना ही जिला कलेक्टर द्वारा भूमि को पूर्ण रूप से अमलदरामद कर दिया गया है, तथा उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो के अनुरूप भविष्य मे गैर वानिकी कार्यो के विरूद्व दी जाने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देना अंकित किया गया है, तथापि उक्तानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु इस भूमि का उपयोग करने से पूर्व टिप्पणी संख्या 11, 12 एवं 13 की कार्यवाही उत्तरदायी विभागो/प्राधिकारियों/अधिकारियों द्वारा सम्पन्न कराया जाना आवश्यक होगा।

14. उक्त क्षेत्र मे गंभीर जैविक दबाव रहेगा। अतः राज्य सरकार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र के वन पुर्नस्थापन तथा चारों ओर पक्की दीवार से सुरक्षा हेतु आवश्यक धन राशि वन विभाग को उपलब्ध कराए।

रवि कुमार मीणा,
उप वन संरक्षक,
भरतपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।